30

यः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

प्र. क्र. /निगरानी/ग्वालियर/भूराजस्व/2019/

निगरानी-0328/2019/दतिया/भू.रा.

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री विश्वेश्वर दयाल श्रीवास्तव निवासी भाण्डेर, तहसील भाण्डेर जिला दतिया
2. सुरेशचन्द्र पुत्र श्री हरप्रसाद निवासी भाण्डेर तहसील भाण्डेर जिला दतिया ..प्रार्थीगण

बनाम

म0प्र0शासन ...प्रतिप्रार्थी

## म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय आयुक्त महोदय संभाग जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 225/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांकी 03.01.2012 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, ग्राम भाण्डेर में स्थित सर्वे कमांक 82 रकवा 0.282हे0 सर्वे कमांक 32 रकवा 0.052हे0, सर्वे कमांक 199/1 रकवा 0.314हे0 भूमि का भूमि व्यवस्थापन नायब तहसीलदार भाण्डेर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 814बी-21/1986-87 269 अ-19/1983-84, 815 बी-121/1986-87, 298/1983-84 अ-19, 816/1986-87 बी-121, 297/1983-84 अ-19 मे पारित आदेश दिनांक 17.02.1987 के द्वारा मौके पर कब्जा होने के आधार पर विधिवत जॉच करते हुये नायब तहसीलदार भाण्डेर के द्वारा दिनांक 17.12.1987 को उक्त भूमि का पट्टा प्रार्थी एवं अन्य कृषकों को प्रदान किया गया तथा पट्टा दिनांक से ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अधिपत्यधारी है। प्रार्थीगणों के हक में हुये पट्टे को अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर द्वारा जॉच मे लिया गया और अपने जॉच प्रतिवेदन में दिनांक 09.09.2005 को यह प्रतिवेदन दिया कि विवादग्रस्त भूमि कमश कदीम नजूल खंती आबादी नजूल दर्ज है तहसीलदार द्वारा बिना पट्टे के प्रदाय किये बगैर प्रार्थीगणों का नाम भूमि स्वामी स्वत्व के रूप में अंकित कर दिया गया जबकि प्रकरण कमांक 269 अ-19/1983-84, 298/1983-84 अ-19, एवं 297/1983-84 अ-19 किसी भी न्यायालय में प्रचलित नही हुये है और ना ही दायरे में दर्ज पाये गये है इसप्रकार फर्जी पंजीयन कर पट्टो का अमल फर्जी रिकॉड में कराया गया है उक्त पट्टे फर्जी पाये जाने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर द्वारा प्रकरण कमांक 2/1987-88 अ-20(अ) दर्ज कर जॉच उपरान्त

कमांक 2

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

न क्रमांक– निगरानी–0328/2019/दतिया/भू.रा.

**राजेन्द्र प्रसाद व सुरेशन्द्र श्रीवास्तव विरूद्ध म.प्र. शासन**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28/05–2019 | आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव एवं शासकीय अभिभाषक श्री राजीव शर्मा उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया।<br>2/ आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 225/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 03–01–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 28–02–2019 को प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के साथ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। निगरानी की साथ संहिता की धारा 48 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा आयुक्त के जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह 03–01–2012 अर्थात 07 वर्ष पुराना है। आवेदकगण द्वारा 16–01–2019 को आदेश की जानकारी होना एवं 18–01–2019 को आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी लेख किया है, परन्तु उक्त आवेदन के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। धारा 48 में यह प्रावधान है –"अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिये प्रत्येक याचिका के साथ उस आदेश की, जिसके कि संबंध में आपत्ति की गई है, प्रमाणित प्रतिलिपि होगी जब तक कि ऐसी प्रतिलिपि के पेश किये जाने से अभिमुक्ति न दे दी गई हो।" इसके अतिरिक्त आवेदक आयुक्त के आदेश के 7 वर्ष बाद निगरानी प्रस्तुत करने के उपरांत 04 पेशी तथा 04 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात भी प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। म्याद अधिनियम की धारा 05 के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा सत्यापति प्रति प्रस्तुत न करने एवं म्याद अधिनियम की धारा 05 के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत न करने के कारण निगरानी अग्राह्य की जाती है।<br>पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>(आर.के. जैन) 28/5/19<br>सदस्य | |